



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 987-काविनी एवं वेप्र0-29/पाकालि/2020-24-वेप्र0(30)/2000

दिनांक 29 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक विकलांग एवं नेत्रहीन सेवकों को कार्यालय ज्ञाप सं0 834-काविनी एवं वेप्र0-29/पाकालि/15-24-वेप्र0(30)/2000 दिनांक 07.11.2015 द्वारा अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता की दरों को उ0प्र0 शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 6/2019/जी-2-531/दस/2019 दिनांक 22.08.2019 की अनुरूपता में पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.08.2020 को परिचलन विधि के माध्यम से सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक विकलांग (दिव्यांग) कार्मिकों एवं नेत्रहीन सेवकों को सम्प्रति अनुमन्य वाहन भत्ता की दरों को निम्नांकित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवेल (वर्तमान दरें)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3
(1)	लेवेल-1 से लेवेल-5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड-पे रु० 1900, 2000, 2200, 2600 एवं 3000)	रु० 600/- के स्थान पर रु० 800/-
(2)	लेवेल-6 एवं अधिक (अपुनरीक्षित ग्रेड-पे रु० 4200 एवं अधिक)	रु० 750/- के स्थान पर रु० 1000/-

- उक्त वाहन भत्ता की अनुमन्यता हेतु पूर्व निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।
- उपरोक्त वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव अर्थात् इस आदेश के निर्गतन की तिथि से प्रभावी होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 987-(1) काविनी एवं वेप्र-29/पाकालि/2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०-मैरठ, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०-लखनऊ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०-आगरा, केस्को-कानपुर।
- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

(2)

8. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पांकांलि0, लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पांकांलि0, लखनऊ।
15. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
16. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (कांवि०नी०)

उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०